(87)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/देवास/भूरा/17/1631 विरूद्ध आदेश दिनांक 19-5-2017 पारित द्वारा नायब तहसीलदार सोनकच्छ जिला देवास, प्रकरण क्रमांक 4/अ-13/08-09

1-कमलाबाई पति रामकिशन
2-रामकिशन पिता हीरालाल
निवासीगण डाक बंगला रोड सोनकच्छ जिला देवास
3-रमेशचन्द्र पिता लालजी राम
4-मनोहरलाल पिता लालजी
निवासीगण मालीपुरा सोनकच्छ जिला देवास

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1-श्रीमती सुशीलाबाई पति अचपलसिंह गौतम मृत वारिसन :-
(ए) विरेन्द्रसिंह पिता अजपलसिंह
निवासी 22/5 राजेंद्र मार्ग सोनकच्छ जिला देवास
(बी) श्रीमती किरण पति बाबूसिंह सीकरवार
निवासी देवास जिला देवास
(सी) श्रीमती रेखाबाई पति दशरथ सिंह पुत्री अजपलसिंह
निवासी देवास जिला देवास
(डी) श्रीमती कविताबाई पति बाबूसिंह पुत्र अजपलसिंह
निवासी बडगोद तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर
(ई) श्रीमती सुनिताबाई पति सुनीलसिंह सिसौदिया
निवासी देवास जिला देवास
2-अचपलसिंह पिता जगन्नाथ सिंह जी गौतम
निवासी 22/5 राजेंद्र मार्ग सोनकच्छ जिला देवास

.....अनावेदकगण

श्री डी0एस0ठाकुर, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/6/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार सोनकच्छ जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-5-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 131, 132 के अन्तर्गत आवेदकगण के विरूद्ध रास्ता विवाद संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वाराप्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा पुन:स्थल निरीक्षण करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 19-5-17 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर प्रकरण अंतिम बहस हेतु नियत किया गया । तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगणं अधिवक्ता अंतिम बहस के दौरान अनुपस्थित रहे हैं, इसलिये उनके द्वारा प्रस्तुत निगरानी मेमों उठाये गये आधारों पर विचार किया जा रहा है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

(1) अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानने की त्रुटि की है कि स्थल निरीक्षण में अनावेदक की उपस्थिति होने से मौके की स्थिति लिखना आवश्यक नहीं है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदकगण ने स्पष्ट किया था कि संहिता की धारा 131 में स्थानीय जॉच के बाद ही आदेश दिया जा सकता है तथा स्थानीय जॉच में अधीनस्थ न्यायालय को आज्ञापक रूप से यह चीज देखना चाहिये कि रास्ता जो मांगा गया है वह कहॉ से प्रारंभ होता है और कहा पर खतम होता है । अनावेदकगण ने किस स्थान पर व किस तरीके से अवरोध उत्पन्न किया है क्या अवरोध उत्पन्न करने के बाद आवेदकगण की खेती करना बंद हो गई है तथा वैकल्पिक मार्ग की क्या स्थिति है तथा आवेदकगण के लिये वैकल्पिक मार्ग ही सही मार्ग है या नहीं । इस आज्ञापक तत्व को अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं देते हुये स्थल निरीक्षण में इन चीजों का कोई वर्णन नहीं किया है, इसलिये भी उक्त निरीक्षण विधिअनुसार नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकगण के आवेदन पत्र पर कोई स्पष्ट आदेश नहीं पारित किया है कि उनके द्वारा स्थल निरीक्षण में जो त्रुटियॉ की गई है वे है या नहीं केवल अनावेदक के पति की उपस्थिति के आधार पर आवेदन निरस्त करने की त्रुटि की गई है।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 19-5-17 निरस्त कर पुन: स्थल निरीक्षण करवाये जाने के बाद अंतिम बहस सुनने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ तहसीलदार न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय से स्थल निरीक्षण दिनांक 7-1-2017 को हो चुका था । आवेदक द्वारा दोबारा स्थल निरीक्षण की मॉग की जाना सही नहीं होने से अमान्य की गई है । आवेदक का मूल आवेदन तहसील न्यायालय में वर्ष 2006 से लंबित है । अब दो माह में उभयपक्ष अपना अपना evidence पेश करें । तहसील न्यायालय प्रकरण का अंतिम निराकरण दो माह में करें।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर